

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
केसर देवी पत्नि रूपगुप्त आज नाथ का बेरनागा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 236 /2021

GCMS No. 2021/978

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

26/11/2021

वादी श्री केसर देवी पत्नि रूपगुप्त पुत्र नाथ निवासी बेरनागा द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत शिव में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत शिव ग्राम शिव पटवार मण्डल शिव के खाता नम्बर 8,120 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि केसर पत्नि रूपगुप्त दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम केसर देवी पत्नि रूपगुप्त है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 690912242976 आधार नम्बर 690912242976 मतदाता पहचान पत्र — अन्य दस्तावेज — की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी शिव भू.अ.नि चिन्ता एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)



1004-1003